वसूल न किए गए ऋणों को बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाला जाना

4600. **श्री रणजीत सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के उन ऋणों, जिन्हें वसूल नहीं किया जा सकता, को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि डूबंत ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाले गए ऋण को सर्वविदित नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई राशि इन बैंकों द्वारा अर्जित लाभ से बहुत अधिक है;

(ङ) क्या नरसिम्हम समिति ने यह सिफारिश की है कि इस धनराशि को बैंकों के तुलन-पत्र में दर्शाए जाने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, सभी वाणिज्यिक बैंक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के संबंध में अपने दायित्वों को निभाने के लिए हर वर्ष, अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों को पूरी तसल्ली के अनुसार धनराशियों के प्रावधान करते हैं और वसूल न हो सकने वाले ऋणों को बट्टे खाते में डालते हैं। सामान्यतया बैंक वसूली के सभी संभव तरीके समाप्त होने के पश्चात् ही, अपने अग्रिमों को बट्टे खाते में डालते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली संविधियों और साथ ही बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार, बैंकों को इस प्रकार की सूचना न देने के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त है।

(ङ) और (च) नरसिंहम समिति का हालांकि यह विचार है कि बैंकों के तुलन-पत्र पारदर्शी होने चाहिए, परन्तु उसने यह सिफारिश की है कि चालू वर्ष से प्रारम्भ करके इस कार्य को चरण-बद्ध ढंग से पूरा किया जाना चाहिए, सरकार ने बैंककारी विनियमन अधिनियम की तीसरी अनुसूची में दिए गए तुलन-पत्रों तथा लाभ एवं हानि खातों के वर्तमान फारमेटों का संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी है। 31-3-92 को समाप्त लेखा वर्ष से प्रभावी नए फारमेटों में अशोध्य ऋणों, मूल्य ह्रास तथा करों को लाभ हानि खाते में समेकित रूप में व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाएगा।

वित्त मंत्रालय में पदों का कम किया जाना

4601. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्थव्यवस्था में किफायत लाने के लिए मंत्रालयों में पदों में कमी करने की नीति के अधीन उनके मंत्रालय में अभी हाल में कम किए गए पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष कितनी धनराशि की बचत होने का अनुमान है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर ऐसे पदों का पता लगाने के लिए समीक्षा चल रही है जिन्हें अभ्यर्पित/समाप्त किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

Employment to widows on compassionate grounds in PNB

4602. PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what are the details of applications received for employment on compassionate grounds from the widows by Regional Offices in Northern India of Punjab National Bank during the year 1991;

(b) whether it is a fact that some of the widows despite having proper academic qualifications have been refused employment;

(c) whether the Regional Office of Punjab National Bank at Kanpur has not even paid out last dues to the widows or any advance payment from these accounts;

(d) whether Punjab National Bank has been acting against the declared policy of Government in this regard; and

(e) if so, the details thereof and the steps beng taken thereon?

THE MINISER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (e) Information is being collected and to the extent available, will be laid on the Table of the House.

Litigation expenses incurred by Punjab National Bank, Calcutta

4603. PROF. SAURIN BHATTACHARYA:
SHRI GHUFRAN AZAM:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what are the details of expenditure incurred by the branches at Lindsay Street, Dharmatolla Street and CR